न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 101/2018/अपील

1 नाथू
2 काना
} पुत्रगण मांगूराम जाति अहीर निवासीगण उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2018 न्यायालय तहसीलदार खण्डेला मु0 नं0 124/18 उनवानी सरकार बनाम नाथू वगै.

वकील अपीलांट श्री सांवरमल

निर्णय **दिनांकः—28.01.2019**

संक्षेप में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोविन्दपुरा द्वारा अपीलांटस के खिलाफ राजनैतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर एक सर्वथा निराधार रिपोर्ट अपीलांटस के खिलाफ योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष प्रस्तुत की गयी। पटवारी हल्का गोविन्दपुरा की उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा प्रकरण धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मुकदमा संख्या 124/2018 के रूप में दर्ज किया जाकर अपीलांटस के खिलाफ दर्ज रजिस्टर किया गया तथा नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.06.2018 निर्धारित कर दी गयी। अपीलांटान दिनांक 28.06.2018 को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर दिया गया। अपीलांटस को तारीख पेशी को कोई नोटिस नहीं दिया गया तथा दिनांक 16.07.2018 को ही अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में पारित कर दिया गया। इस प्रकार से अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है, परन्तु पटवारी हल्का से अपीलांटस को जिरह करने का कोई मौका नहीं दिया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांटस को सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया एवं पत्रावली में अपीलांटस की बहस ही नहीं सुनी गई। बिना बहस सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया। भूमि खसरा नम्बर 332 के अपीलांटस रिकार्डेड काबिज, खातेदार, काश्तकार है। भूमि खसरा नम्बर 333 जो गैर मुमकिन रास्ता है। अपीलांटस की भूमि खसरा नम्बर 332 के बीच में से राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में अंकित है, लेकिन उपरोक्त रास्ता करीब 50 वर्षो से ही प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 332 के बीच में से रास्ता कभी भी अस्तित्व में नहीं रहा

अपीलांधीन नोटिस की कार्यवाही समाप्त करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपीलांधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जो कतई स्थिर रहने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय, तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2018 की कियान्विति की आड में अपीलांटस की खड़ी फसल को नुकसान पहूंचा देगें तो अपीलांटस जो कि गरीब काश्तकार व्यक्ति है, जिनकी आजीविका का साधन कृषि ही है, के भूखों मरने की नौबत आ जावेगी तथा अपीलांटस का अपील दायरी का उद्धेश्य ही विफल हो जावेगा तथा अपीलांटस के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इसलिए न्यायहित में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2018 की कियान्विति तादौराने अपील स्थगित की जाकर मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.07.2018 निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटान को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांटान उपस्थित आये एवं उक्त नोटिस के सम्बंध में अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में अंकित किया गया है कि "प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0500 है0 बाबत नोटिस जारी किया गया है। ग्राम उदयपुरा के खसरा नम्बर 332 में दक्षिणी सीव के सहारे जाता हुआ पूर्वी सींव के सहारे रास्ता आगे अन्य खसरा नम्बर से होता हुआ रास्ता करीब 50 वर्षो से चालू है। खसरा नम्बर 333 पर कोई रास्ता नहीं रहा है। खसरा नम्बर 332 में से बीच में रास्ता खसरा नम्बर 333 गलत दर्शित कर रखा है जो 50 वर्षो से अधिक समय से रास्ता नहीं रहा है, जिसको खातेदार काश्त कर रहे है। ग्राम उदयपुरा की भूमि खसरा नम्बर 333 बाबत पटवारी हल्का गोविन्दपुरा द्वारा मौके की जांच रिपोर्ट दिनांक 27.06.18 को पेश की गई। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट में भी रास्ता खसरा नम्बर 332 के दक्षिणी सींव के सहारे जाता हुआ उक्त खसरा नम्बर 332 की पूर्वी सीमा के सहारे जाता हुआ रास्ता चालू हालत में दर्शित किया गया है। भूमि खसरा नम्बर 333 में कोई रास्ता नहीं होने बाबत प्रदर्शित किया गया है। उक्त रास्ता पूर्वी सींव के सहारे मौके पर चालू हालत में है।" इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांटान द्वारा ग्राम उदयपुरा के खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0500 है0 किस्म गै.मु.रास्ता में से 0.0500 है0 पर खेत में मिलाकर पड़त कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया एवं विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला के समक्ष प्रस्तुत दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती की प्रतिलिपि पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटान के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 333 रकबा 0.0500 है0 किस्म गै.मु.रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ते की भूमि दर्ज है। जिसके सम्बंध में

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को चुनौति दिया उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/1/19

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर